



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1401]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 2, 2014/आषाढ़ 11, 1936

No. 1401]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 2, 2014/ASHADHA 11, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2014

का.आ. 1671(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 22 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

## सारणी

(1)	(2)	(3)
22.	<p>राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 (नई रारा सं. 40) [किमी 0.0 से किमी 106.40 (चेन्नै से वालझा) तक खंड को छोड़कर] और रारा सं. 4 के किमी 13.8 से शुरू होने वाला और रारा-5 (नई रारा सं. 16) के किमी 13.6 पर मिलने वाला बाइपास (चेन्नै बाइपास चरण-II), रारा सं. 45 (नई रारा सं. 32, 132, 38, 83 और 183) [चेन्नै - त्रिची - डिंडीगुल खंड के किमी 27.8 से किमी 421.650 और किमी 27.8 से किमी 421.650 (डिंडीगुल - थेनी खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 45ए (नई रारा सं. 32 और 332), रारा सं. 45बी (नई रारा सं. 38) [मदुरै - अरूपूकोट्टई - तूतीकोरीन तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 47 (नई रारा सं. 66 और 544) [किमी 0.000 से किमी 182.040 (सलेम से तमिलनाडु/केरल सीमा) तक खंड को छोड़कर], <b>रारा सं. 49 (नई रारा सं. 87)</b>, किमी 94.000 से 174.000 किमी तक (मदुरै - परमाकुंडी - रामनाथपुरम तक खंड को छोड़कर) रारा सं. 66 (नई रारा सं. 32 और 77) [तमिलनाडु/पांडिचेरी सीमा - टिंडीवनम - तिरुवन्नामलाई - कृष्णागिरी खंड तक], रारा सं. 67 (नई रारा सं. 83, 81 और 181) [कोयंबटूर - मेत्तूपलयम - तमिलनाडु/कर्नाटक सीमा तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 68 (नई रारा सं. 79) (सलेम/उलूंडरपेट खंड तक), 205 नई रारा सं. 716 [तमिलनाडु/आंध्र प्रदेश सीमा - तिरुथेनी - चेन्नै तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 207 (नई रारा सं. 648, रारा सं. 208 (नई रारा सं. 744), रारा सं. 209 (नई रारा सं. 83), रारा सं. 210 (नई रारा सं. 336 और 536) [किमी 5.00 से किमी 118.798 (त्रिची - करईकुडी - देवाकुट्टई रास्ता - रामनाथपुरम खंड) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 219 (नई रारा सं. 42), रारा सं. 220 (नई रारा सं. 183) [किमी 215.500 से किमी 273.600 (थेनी - कुमिली) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 226 (नई रारा सं. 135) (पेरांबलूर - पेराली - कीलापाल्लूर - अरियालूर - कुन्नम - तिरुवैय्यारू - कांडियूर - तंजावूर), रारा सं. 230 (नई रारा सं. 85), रारा सं. 234 (नई रारा सं. 75 और 38) और नई रारा सं. 532 के उतने भाग जो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं।</p>	तमिलनाडु राज्य सरकार

[फा. सं. एनएच-14013/6/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

**पाद टिप्पणि:** मूल अधिसूचना को का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1044(अ), तारीख 7 मई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2014

**S.O. 1671(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

**TABLE**

(1)	(2)	(3)
22	So much of National Highway No. 4 (New NH No. 40)[excluding from Km. 0.0 to Km. 106.40 (from Chennai to Wallajah)] and the bypass starting from Km. 13.8 of NH-4 and joining at Km. 13.6 of NH-5 (New NH No. 16) (Chennai Bypass Phase-II), No. 45 (New NH No. 32, 132, 38, 83 and 183) [excluding from km. 27.8 to 421.650 of Chennai-Trichy-Dindigul section and from km. 2.750 to km. 73.40 (Dindigul-Theni Section], No. 45A (New NH No. 32 and 332), No. 45B (New NH No. 38) [excluding Madurai-Arupukotai-Tuticorin section], No. 47 (New NH No. 66 and 544) [(excluding from Km. 0.000 to Km.182.040 (from Salem to Tamil Nadu/Kerala Border)], No. 49 (New NH No. 87) [excluding from Km. 94.000 to Km. 174.000 (Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram section)], No. 66 (New NH No. 32 and 77) [excluding Tamil Nadu/Pondicherry Border-Tindivanam-Thiruvannamalai-Krishnagiri sections], No. 67 (New NH No. 83, 81 and 181) [excluding Coimbatore Mettupalayam-Tamil Nadu/Karnataka Border Section], No.68 (New NH No. 79) [excluding Salem-Ulundurpet Sections], No. 205 (New NH No. 716) [excluding Tamil Nadu/Andhra Pradesh Border-Thiruthani-Chennai Sections], No. 207 (New NH No. 648), No. 208 (New NH No. 744), No. 209 (New NH No. 83), No. 210 (New NH No. 336 and 536)[excluding from km. 5.00 to km. 118.795 (Trichy-Karaikudi-Devakottai Rastha-Ramanathapuram section)], No. 219 (New NH No. 42), No.220 (New NH No. 183) [excluding from km. 215.500 to 273.600 (Theni-Kumili)], No. 226 (New NH No. 135) (Perambalur-Perali- Keelapalur- Ariyalur- Kunnam- Thiruvaiyaru- Kandiyur-Thanjavur), No. 230 (New NH No. 85), No. 234 (New NH No. 75 and 38) and New NH No. 532 as are situated within the State of Tamil Nadu.	State Government of Tamil Nadu

[F. No. NH-14013/6/2014-P&amp;M]

MAYA PRAKASH, Director (P&amp;B)

**Note:**—The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1044(E), dated the 7th April, 2014.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2014

**का.आ. 1672( अ ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट खंड, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथा-विनिर्दिष्ट लंबाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, अर्थात्:—**

**सारणी**

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड	लंबाई (किमी में)
(1)	(2)	(3)
49 210	मदुरै – परमाकुडी – रामनाथपुरम खंड  करईकुडी – रामनाथपुरम खंड  (तमिलनाडु राज्य में)	किमी. 94.000 से किमी. 174.000  किमी. 5.000 से किमी. 10.000 और किमी. 94.000 से किमी. 118.795

[फा. सं. एनएच-14013/6/2014-पी एंड एम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2014

**S.O. 1672(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highway as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely:—

**TABLE**

National Highway No.	Section of National Highway	Stretches in Kilometers
(1)	(2)	(3)
49	Madurai-Paramakudi-Ramanathapuram Section	Km. 94.000 to km. 174.000
210	Karaikudi-Ramanathapuram section (In the State of Tamil Nadu)	Km. 5.000 to km. 10.000 and Km. 94.000 to km. 118.795

[F. No. NH-14013/6/2014-P &M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)